11:–बिन्दु–9 के अनुसार आंवटन सम्बन्धी अधिकार होने के बावजूद प्रार्थिया श्रीमति ठाकीबाई बेवा श्री माधवदास का प्रकरण 1969 से लम्बित रखकर आंवटन नही करने के संदर्भ में।

ए. प्रार्थिया से सम्बन्धित उक्त पत्रों पर हुई दैनिक उन्नति बताएं अर्थात मेरे आवेदनो, पत्रों से सम्बन्धित किस अधिकारी के पास कब पहुचे, उस अधिकारी के पास कितने समय तक रहा और उसने इतने समय तक आवेदकों व पत्रों का क्या किया। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।

बी. नियमो के अनुसार मेरे आवेदनो पत्रो प्रकरण पर कितने कार्य दिवसो में कार्यवाही पूर्ण होनी चाहिये। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।

सी. मेरे आवेदनो व पत्रों व प्रकरण पर काफी समय व्यतीत हो चुका है कृपया उन अधिकारियो के नाम व पद बताए जिनसे यह आशा की जाती है कि वे मेरे आवेदनो पत्रों, प्रकरण निस्तारण पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाए दे।

डी. उन अधिकारियों के विरूद्ध अपना कार्य न करने व जनता के शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे।

ई. यह कार्यवाही कब तक की जायेगी मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाए दे।

एफ. मेरे आवेदनों व प्रकरण निस्तारण नही होने तक कुल कितने स्मरण पत्र भेजे गये। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।

जी. अब मुझे कब तक अपने आवेदनो व पत्रों व प्रकरण पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की जानकारी मिल जायेगी बिन्दुवार सूचनाए दे।

एच. बिन्दु 1 में चाहा गया मार्ग दर्शन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।

आई.बिन्दु 1 में चाहा गया मार्ग दर्शन नही देने के कारणों प्रमाणिक सूचना दे।

जे. बिन्दु 1 में चाहा गया मार्ग दर्शन दोहरे आवंटन वाली कस्टोडियन भूमि के निस्तारण हेतु आवश्यक होने के संदर्भ में प्रमाणिक सूचनाए दे।

के. बिन्दु 2 पर प्राप्त जवाब की प्रमाणित प्रति दें।

एल. बिन्दु 2 पर यदि जवाब प्राप्त नही हुआ तो इस संदर्भ में कितने स्मरण पत्र भेजे। प्रमाणित सूचनाएं दे।

एम. बिन्दु 3 प्रमाणित सूचनाए दें।

एन. बिन्दु 4 प्रमाणित सूचनाए दे।

ओ. बिन्दु 5 प्रमाणित सूचनाएं दें।

पी. बिन्दु 6 प्रमाणित सूचनाएं दें।

क्यू. बिन्दु 7 पर नियमों एवं अधिकारो के संदर्भ प्रमाणिक बिन्दुवार सूचनाए दें।

आर. बिन्दु 9 पर प्रार्थिया के प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार नही करने के संदर्भ में प्रमाणिक बिन्दुवार सूचनाएं दे।

एस. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्रांक 39 दि0 10.02.2012 के अनुसार अन्य जिलों में भूमि आवंटन करने के अधिकार नही थे। परन्तु 06.09.2005 से पूर्व थे। जबकि प्रकरण 1969 से लम्बित है अतः उनके द्वारा प्रकरण निस्तारण हेतु कार्यवाही नही करने जनता का शोषण करने एवं प्रार्थी को परेशान करने के कारण क्या कार्यवाही की जावेगी मय प्रमाण सूचना दें।

टी. उपरोक्त बिन्दु के अनुसार प्रकरण निस्तारण नही करने के कारणो की मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाए दें।

यू. बिन्दु 10 पर प्रमाणिक बिन्दुवार सूचनाए दे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3004 दिनांक 02.11.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 2787–88 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा प्रार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी जो निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है:–

बिन्दु संख्या I	प्रश्न	उत्तर
A	प्रार्थिया से सम्बन्धित उक्त पत्रों पर हुई दैनिक उन्नति बताएं अर्थात मेरे आवेदनो, पत्रों से सम्बन्धित किस अधिकारी के पास कब पहुचे, उस अधिकारी के पास कितने समय तक रहा और उसने इतने समय तक आवेदकों व पत्रों का क्या किया। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकिं खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
B	नियमो के अनुसार मेरे आवेदनो पत्रो प्रकरण पर कितने कार्य दिवसो में कार्यवाही पूर्ण होनी चाहिये। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।	
C	मेरे आवेदनो व पत्रों व प्रकरण पर काफी समय व्यतीत हो चुका है कृपया उन अधिकारियो के नाम व पद बताए जिनसे यह आशा की जाती है कि वे मेरे आवेदनो पत्रों, प्रकरण निस्तारण पर कार्यवाही करते परन्तु उन्होने कार्यवाही नही की। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाए दे।	सभी अधिकारीगण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है।
D	उन अधिकारियों के विरूद्ध अपना कार्य न करने व जनता के शोषण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाएं दे।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकिं खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
E	यह कार्यवाही कब तक की जायेगी मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाए दे।	सूचना का अधिकार अधिनियम में उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती हैं।
F	मेरे आवेदनों व प्रकरण निस्तारण नही होने तक कुल कितने स्मरण पत्र भेजे गये। मय प्रमाण बिन्दुवार सूचना दे।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकिं खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
G	अब मुझे कब तक अपने आवेदनो व पत्रों व प्रकरण पर सम्पन्न हुई कार्यवाही की जानकारी मिल जायेगी बिन्दुवार सूचनाए दे।	सूचना का अधिकार अधिनियम में उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती है।
H	बिन्दु 1 में चाहा गया मार्ग दर्शन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/– प्रति पृष्ठ की दर से जमां करवा कर प्राप्त कर सकते है।
I.	बिन्दु 1 में चाहा गया मार्ग दर्शन नही देने के कारणों प्रमाणिक सूचना दे।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/– प्रति पृष्ठ की दर से जमां करवा कर प्राप्त कर सकते है।

J.	बिन्दु 1 में चाहा गया मार्ग दर्शन दोहरे आवंटन वाली कस्टोडियन भूमि के निस्तारण हेतु आवश्यक होने के संदर्भ में प्रमाणिक सूचनाए दे।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल मत सलाह नमूने मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकिं खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
K	बिन्दु 2 पर प्राप्त जवाब की प्रमाणित प्रति दें।	
L	बिन्दु 2 पर यदि जवाब प्राप्त नही हुआ तो इस संदर्भ में कितने स्मरण पत्र भेजे। प्रमाणित सूचनाएं दे।	
M	बिन्दु 3 प्रमाणित सूचनाए दें।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/– प्रति पृष्ठ की दर से जमां करवा कर प्राप्त कर सकते है।
N	बिन्दु 4 प्रमाणित सूचनाए दे।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/– प्रति पृष्ठ की दर से जमां करवा कर प्राप्त कर सकते है।
O	बिन्दु 5 प्रमाणित सूचनाएं दें।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/– प्रति पृष्ठ की दर से जमां करवा कर प्राप्त कर सकते है।
P	बिन्दु 6 प्रमाणित सूचनाएं दें।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/– प्रति पृष्ठ की दर से जमां करवा कर प्राप्त कर सकते है।
Q	बिन्दु 7 पर नियमों एवं अधिकारो के संदर्भ प्रमाणिक बिन्दुवार सूचनाए दें।	निष्क्रान्त कृषि भूमि जिला जैसलमेर में उपलब्ध है जिसके आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर जैसलमेर को है। बैठक कार्यवाही की प्रति 11 पृष्ठ रूपये 2/– प्रति पृष्ठ की दर से जमां करवा कर प्राप्त कर सकते है।
R	बिन्दु 9 पर प्रार्थिया के प्रकरण का निस्तारण अनयमानुसार नही करने के संदभ्र में प्रमाणिक बिन्दुवार सूचनाएं दे।	दिनांक 06.09.2005 को नकद सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्ति दावा एंव अन्य अधिनियम निरसन अधिनियम 2005 को अधिसूचित कर निरसित कर अधिसूचित कर दिया गया था।
S	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्रांक 39 दि0 10.02.2012 के अनुसार अन्य जिलों में भूमि आवंटन करने के अधिकार नही थे। परन्तु 06.09.2005 से पूर्व थे। जबकि प्रकरण 1969 से लम्बित है अतः उनके द्वारा प्रकरण निस्तारण हेतु कार्यवाही नही करने जनता का शोषण करने एवं प्रार्थी को परेशान करने के कारण क्या कार्यवाही की जावेगी मय प्रमाण सूचना दें।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री, अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल मत सलाह नमूने मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकिं खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
T	उपरोक्त बिन्दु के अनुसार प्रकरण निस्तारण नही करने के कारणो की मय प्रमाण बिन्दुवार सूचनाए दें।	
U	बिन्दु 10 पर प्रमाणिक बिन्दुवार सूचनाए दे।	

यदि आप प्रकरण से संबंधित किसी अभिलेख का अवलोकन करना चाहें तो कार्यालय दिवस में कर सकते है और चिन्हित रिकार्ड की प्रतिलिपि नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।

शा0
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को भिजवाये गये उक्त उत्तर के अनुसार बिन्दु सं0 एच, आई, एम, एन, ओ, पी, क्यू की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवा कर प्राप्त करने के लिए लिखा गया है जो अपीलार्थी को जमा करवाकर सूचना प्राप्त करनी चाहिए। अपीलार्थी द्वारा चाही गई शेष सूचनांए निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सूचना एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 27.09.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखो का निरीक्षण कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.11.17

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 77/2017 अनवानी श्री जयप्रकाश मकान न0 जे 157 पार्श्वनाथ सिटी सांगरिया पाल बाई पास रोड, जोधपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22–11–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जयप्रकाश उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का प्रतिवेदन संख्या 3004 दिनांक 02.11.2017 शामिल किया गया। **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जय प्रकाश ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2017 मा0 लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्व (ग्रुप–10/पुर्न0) विभाग राज0 सरकार, जयपुर को प्रस्तुत किया था जो लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (पुनर्वास) श्रीगंगानगर को मुन्तकिल किये जाने पर अपीलार्थी को वांछित सूचनांए उसके चाहे अनुसार न मिलने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत अपील भी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं शासन संयुक्त सचिव, पुनर्वास विभाग, राज0 जयपुर के पत्र दिनांक 27.09.17 से अन्तरण होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुई है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.17 के द्वारा निम्न सूचनांए चाही है:–**

1:–प्रभारी अधिकारी (पुर्न0) श्रीगंगानगर के पत्रांक 543 दि0 05.12.2014 पर दिये गये मार्ग दर्शन पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने के संदर्भ में।

2:–आपके पत्रांक एफ.7(3)/राज./(ग्रप–10/पुर्न0)2012, जयपुर दि0 19.03.2013 को भेजे गये पत्र पर प्राप्त जानकारी के संदर्भ में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने के संदर्भ में।

3:–अन्य जिले में दोहरे आंवटन वाली कस्टोडियन भूमि का आंवटन करने वाले अधिकारी के संदर्भ में मय पद व अधिकार के संदर्भ में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने के संदर्भ में।

4:–अन्य जिले में आरक्षित को आंवटन करने वाले अधिकारी के संदर्भ में प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध करवाने के संदर्भ में।

5:–दोहरे आवंटन वाली कस्टोडयन भूमि के निस्तारण हेतु अन्य जिलों में उपनिवेशन विभाग द्वारा आरक्षित भूमि को आंवटन करने वाले अधिकारी के पद व अधिकार के संदर्भ में प्रमाणित सूचनाए उपलब्ध करवाने के संदर्भ में।

6:–प्रभारी अधिकारी (पुर्न0) श्रीगंगानगर के पत्रांक 39/10.02.12, 311/03.07.12, 1539/08.10.2013, 227/02.04.2014, 248/16.04.2014, 278/25.05.2014, 360/31.07.2014, 393/21.08.14, 543/05.12.14 द्वारा आपसे प्रकरण निस्तारण हेतु मार्गदर्शन मांगा जा रहा था। मार्ग दर्शन उपलब्ध सम्बन्धी प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध करवाने के संदर्भ में।

7:–प्रभारी अधिकारी (पुर्न0) श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार मोहनगढ जिला जैसलमेर में चक 16 बीएचटी में मु0न0 80/27, 80/35 की भूमि का आवंटन दि0 17.08.1993 को करने के संदर्भ में।

8:–उपरोक्त सभी सूचनांए दि0 05.12.2014 तक के समय की मांगी जा रही है। प्रमाणिक सूचनांए दें।

9:–राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री के दि0 30.12.2015 के बैठक कार्यवाही विवरण के क्र.स. 1 के बिन्दु (vi) में वर्णित के अनुसार जिला जैसलमेर की तहसील मोहनगढ में कस्टोडियन आंवटियो के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। जिसके आवंटन के अधिकार जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को दि0 06.09.2005 से पूर्व थे। इस संदर्भ में प्रमाणिक जानकारी के संदर्भ में।

10:–उपरोक्त बिन्दु के अनुसार आंवटन अधिकार होने के बावजूद व आंवटन नही करने के संदर्भ में प्रमाणिक जानकारी हेतु।